संख्या- 61/1355/बयालिस-2015-126/एस0पी0/1975टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2015**

विषय- पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 284/2015-16, दिनांक 25 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0- 9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- 1531/बयालिस-2015-126/एस0पी0/1975टी0सी0, दिनांक 21 अगस्त, 2015 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 10.55 लाख (रू0 दस लाख पचपन हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 10.55 लाख (रू0 दस लाख पचपन हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2015-16 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को लम्बे समय तक पी0एल0ए/डिपाजिट खाते/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाये-आयोजनेत्तर-104खेलकूद-10-विशिष्ट खिलाडियों को प्रदेशीय पुरस्कार 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 61/1355(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1(तीन प्रतियों में)/2
(6)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(7)- नियोजन अनुभाग- 4
(8)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in